

फर्द अहकाम

आलय उपमंडल अधिकारी - पणजी
 वनाम बजाती
 दिनांक २५/३/२०२३
 मा संख्या / वर्ष : _____

दिनांक आदेश या कार्यवाही	आदेश विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
२५/३/२३	<p> पत्रावली पेश हुई करीब ७:३० बजे। दावा पूर्व में आरिज हो चुका है। इसलिए डा. परशुराम RTA को पत्राने का कोई औचित्य नहीं है। केवल डा. परशुराम RTA का व्यक्ति किया जाता है। पत्रावली पेश करीब ११:३० बजे </p> <p style="text-align: center;"> (२) उपमंडल अधिकारी आरक्षण, पणजी (३) </p>	